भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 51/8/7/2020-ईएमएस दिनांकः 23 अक्तूबर, 2020

सेवा में,

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषयः कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान वीवीपैट मततगणना बूथ (वीसीबी) में वीवीपैट पेपर पर्चियों की मतगणना के संबंध में अनुदेश-तत्संबंधी।

संदर्भः दिनांक 5 दिसंबर, 2017 का 51/8/वीवीपैट/2017-ईएमएस

महोदया/महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र/सेग्मेंट की मतगणना एक से अधिक मतगणना हॉलों में की जाएगी। आयोग के मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, मतगणना हॉल के अंदर किसी भी एक गणना टेबल को वीवीपैट पेपर पर्चियों की गणना के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वीसीबी के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है किः

1. मतगणना हॉल, जिसमें आरओ बैठेंगे, के अंदर कोई भी एक गणना टेबल वीवीपैट पेपर पर्चियों की गणना के लिए वीसीबी के रूप में चिह्नित की जाएगी।
2. आयोग के अनुदेशों का कड़ाईपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी और प्रेक्षक वीवीपैट पर्चियों की गणना पर कड़ी और प्रत्यक्ष नजर बनाए रखेंगे।

भवदीय

ह./-

(मधुसूदन गुप्ता)
सचिव